

STATE ELECTION COMMISSION NCT OF DELHI & U.T. CHANDIGARH NIGAM BHAWAN, KASHMERE GATE DELHI-110006

No: 1(46)/Admn./SEC/Bye-Elections/2021/8539

Dated 24 | 02 | 2021

PUBLIC NOTICE

In continuation of earlier notifications issued from time to time, the following is notified for information of the general public, all the Political Parties, Contesting candidates and all concerned, for kind observation during the polls for Bye-Elections to five wards of North & East Municipal Corporations of Delhi:-

- For Polling Day:- In order to maintain peace and calm in the polling stations during polling period on the date of poll i.e. <u>28th February 2021</u> and to maintain law and order, the Commission hereby directs that carrying of cell phones by a voter inside a Polling Station shall not be permitted. This supersedes Commission's directions on the subject contained in the "Model Code of Conduct-consolidated instructions".
 - 2. For Counting Day:- The contesting candidates, their election agents and counting agents (as per appointments approved by the Returning Officers concerned) shall be allowed to enter the respective counting centers on the day of counting of votes i.e,. 03rd March 2021 to ensure smooth and fair counting of votes.

It is ordered that no person other than the following officers shall be allowed to carry a cell phone inside any counting hall:-

- 1. Election Observers
- 2. Returning Officers
- 3. Assistant Returning Officers
- 4. Any other Officers authorized so by the SEC

(Sanjay Kumar Srivastava)
STATE ELECTION COMMISSIONER

Do Vote, No Voter to be Left Behind Maintain Social Distancing [USE "NIGAM CHUNAV" MOBILE APP] WEAR MASK, STAY SAFE



राज्य चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एंव संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ निगम भवन, कश्मीरी गेट दिल्ली—110006

सं० फा० 1(46)/प्रा०/एसईसी/उप0चुना०/2021/8539

दिनांक 24/02/2021

जन–सूचना

समय-समय पर जारी पूर्व सूचनाओं की निरंतरता में, आम जनता, सभी राजनीतिक दलों, उत्तरी व पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के पांच वाडों में उप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अवलोकन के लिए सूचित किया जाता है: -

- 1. मतदान के दिन के लिए: मतदान की तारीखों के दौरान मतदान केन्द्रों में शांति और उत्तेजनाहीन बनाए रखने के लिए मतदान की तारीख यानी 28 फरवरी 2021 तक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता द्वारा मतदान केंद्र में सेलफोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह "आदर्श आचार संहिता-समेकित निर्देशों" में निहित विषय पर आयोग के निर्देशों का समर्थन करता है।
- 2. मतगणना के दिन के लिए: चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंटों और मतगणना एजेंटों (संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों के अनुसार) को मतगणना के दिन संबंधित मतगणना केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमित दी जाएगी जोकि 03 मार्च 2021 है, मतों की सुचारू और निष्पक्ष गिनती सुनिश्चित करने के लिए।

यह आदेश दिया गया है कि निम्नलिखित अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतगणना हॉल के अंदर सेल फोन लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी: -

- 1. च्नाव पर्यवेक्षक
- 2. रिटर्निंग ऑफिसर
- 3. सहायक रिटर्निंग अधिकारी
- 4. आयोग द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी

(संजय कुमार श्रीवास्तव) राज्य चुनाव आयुक्त

वोट जरुर करें, कोई भी वोटर पीछे ना छूटे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे ["निगम चुनाव" मोबाइल एप का प्रयोग करें] मास्क पहने, सुरक्षित रहें